Memorandum of Understanding

ON

INDIA – URUGUAY RENEWABLE ENERGY COOPERATION

BETWEEN

The Ministry of New and Renewable Energy, Government of Republic of India

AND

The Government of Uruguay

Having identified new and renewable energy as a common area of interest,

Desiring to establish New and Renewable Energy Cooperation between Ministry of New & Renewable Energy, Government of India and the Government of Uruguay (hereinafter referred as 'The Parties').

The Indian and Uruguayan entities with the aim of developing new and renewable energy technologies.

Have reached the following understanding:

ARTICLE – I

OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding is to establish the basis for a cooperative institutional relationship to encourage and promote technical bilateral cooperation on new and renewable energy issues on the basis of mutual benefit, equality and reciprocity.

ARTICLE – II

WORKING GROUP

In order to coordinate the above-mentioned activities and decide upon project proposals related to design and development of various new and renewable energy technologies, the Parties intend to establish a "Joint Working Group" with the objective:

- Identifying areas of mutual interest and cooperation for development of new and renewable energy technologies, systems, sub-systems, devices and components etc.
- Monitoring and evaluating cooperation activities

The Parties will designate one main representative each to the Joint Working Group. For the aforesaid activities, the Joint Working Group shall to the extent possible conduct its work through electronic communication, but meet alternately in India and Uruguay, when this is deemed necessary.

The Joint Working Group can co-opt other members from scientific institutions, research centers, universities or any other entity, as and when considered essential.

ARTICLE – III
AMENDMENT

The present Memorandum of Understanding can be amended by the Parties through mutual consultation. The amendments shall be enclosed with the present Memorandum of Understanding and shall form an integral part of it thereof.

ARTICLE - IV
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

The Memorandum of Understanding will enter into force on the date of signing and shall remain in force unless revoked by the consent of the Parties.

Either of the Parties may terminate the present Memorandum of Understanding by giving the other party a written notice of ninety days in advance of its decision to terminate this Memorandum of Understanding. Termination will not affect activities covered by a collaborative contract between the executive agencies and already underway at the time of termination.

The undersigned being duly authorized thereto have signed this Memorandum of Understanding.

Signed at New Delhi on 25th February, 2011 in two originals, each in Hindi, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

Dr. Farooq Abdullah,
Minister of New and Renewable Energy
(For the Ministry of New and Renewable Energy or the Government of India)

Mr. Roberto Kreimerman,
Minister of Industry, Energy and Mining
(For the Government of Uruguay)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार और

युरूग्ए सरकार के

बीच

भारत–युरूग्ए अक्षय ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की सामान्य रूचि के क्षेत्र के रूप में पहचान करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और युरूग्ए सरकार के बीच नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की गई है (यहां अब इन्हें "सहभागी" कहा जाएगा)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां विकसित करने के उद्देश्य के साथ ही भारत और युरूग्येयन निम्नलिखित समझौते पर पहुंचे हैं :

अनुच्छेद–I

उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आपसी लाभ, समानता और पारस्परिक के आधार पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मामलों पर तकनीकी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक सहयोगात्मक संस्थागत संबंध हेतु आधार स्थापित करना है ।

अनुच्छेद–II

कार्यदल

उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलापों का समन्वयन करने और विभिन्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और विकास से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से सहभागी निम्न उद्देश्य के साथ एक "संयुक्त कार्यदल" स्थापित करते हैं :

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों, उप–प्रणालियों, उपकरणों और घटकों आदि के विकास हेतु आपसी रुचि और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना ।
- सहयोगात्मक कार्यकलापों की मॉनीटरिंग और उनका मूल्यांकन करना ।

सहभागियों में से प्रत्येक द्वारा संयुक्त कार्यदल में एक–एक मुख्य प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी । उपरोक्त कार्यकलापों हेतु संयुक्त कार्यदल एक सीमा तक इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यम से अपना कार्य सम्पादित करेगा, किन्तु वैकल्पिक रूप से जब आवश्यक हो भारत और युरूग्ए में वार्ता करेगा ।

संयुक्त कार्यदल द्वारा जब और जैसे आवश्यक समझा जाएगा वैज्ञानिक संस्थाओं, अनुसंधान केन्द्रों, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य किसी माध्यम से सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है ।

अनुच्छेद–III

संशोधन

यह समझौता ज्ञापन सहभागियों द्वारा आपसी परामर्श से संशोधित किया जा सकता है । ये संशोधन वर्तमान समझौता ज्ञापन के साथ संलग्न किए जाएंगे और तत्पश्चात् यह उसके अभिन्न भाग के रूप में रहेगा ।

अनुच्छेद–IV

प्रभाव में आना, अवधि और समाप्ति

यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर होने की तिथि से प्रभाव में आएगा और सहभागियों की सहमति द्वारा समाप्त न किए जाने तक प्रभाव में रहेगा ।

यह समझौता ज्ञापन दोनों सहभागियों में से किसी भी द्वारा इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अपने निर्णय के नब्बे दिनों पूर्व दूसरे सहभागी को एक लिखित सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है । इस समाप्ति से कार्यकारी एजेंसियों के बीच हुए सहयोगात्मक ठेके के तहत हुई और समाप्ति के समय से पहले से चल रही गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

अधोहस्ताक्षरी जिन्हें इस हेतु विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया है, द्वारा यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित है ।

यह ज्ञापन हिंदी, स्पैनिश और अंग्रेजी भाषाओं में जिसमें कि सभी आलेख समान रूप से प्रमाणिक है, दिनांक 25 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षति हुए हैं । व्याख्या में किसी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी लेख प्रमाणिक होगा ।

डा. फारूक अब्दुल्ला
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत सरकार)

श्री रॉबर्टो किमरमैन,
उद्योग, ऊर्जा और खनन मंत्री
(युरूग्ए सरकार)